(467)

सं0क0नि0-4-2652/11-2001-टी-30(56)/2000

प्रेषक,

टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष, व्यापार कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-4

लखनऊ::दिनांक 29-12-2001

विषय:- उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत राज्य सेवाओं के कार्मिकों का उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के मध्य आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-व्या0क0अधि0/5478/2000, दिनांक 27-8-2001 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप संलग्न सूची के अनुसार उत्तरांचल राज्य एवं उत्तर प्रदेश के मध्य राज्य सेवाओं के व्यापार कर अधिकरण के कार्मिकों का संलग्नक के कालम-4 में उल्लिखित कुल पदों में से कालम-5 में उल्लिखित उत्तरांचल राज्य को आवंटित पदों को कम किए जाने के पश्चात् कालम-6 में उल्लिखित अवशेष पदों को उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश के लिए पुनर्निर्धारित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशानुसार अनुवर्ती उत्तर प्रदेश में व्यापार कर अधिकरण के कार्मिकों को यथाशीघ्र स्वीकृत मानते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय

टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

.....2/-

शासनादेश सं0-2652/14-2001-टी-30(56)/2000, दिनांक [illegible] संलग्नक।

व्यापार कर अधिकरण में स्वीकृत पदों का उत्तरांचल एवं उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश हेतु आवंटन का विवरण:-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	उत्तरांचल के गठन के पूर्व विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सं0।	उत्तरांचल हेतु आवंटित पद	उत्तरवर्ती उ0प्र0 हेतु आवंटित पद जिनका कि0 शासन से होना है।
1	2	3	4	5	6
1-	अध्यक्ष, व्यापार कर अधिकरण।	18400-22400	01	-	01
2-	सदस्य, व्यापार कर अधिकरण	**	33	02 *	301 (31)
3-	निबन्धक, व्या0क0अधि0	10000 15200	01	-	01
4-	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500-10500	01	-	01
5-	कार्यालय अधीक्षक	5000-8000	01	-	01
6-	वैयक्तिक सहायक	6500-10500	01	-	01
7-	वैयक्तिक सहायक	5500-9000	33	02	31
8-	आशुलिपिक	4000-6000-	02	-	02
9-	मुन्सरिम	4500-7000	34	02	32
10-	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500-7000	01	-	01
11-	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	88	03	85
12-	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	102	04	98
13-	जमादार/दफ्तरी डण्डलिफ्टर	2610-3540	69	04	65
14-	कार्यालय सेवक/स्वीपर।	2550-3200	153	06	147
15-	चालक (कार्यालय सेवक का एक पद अवनमित करते हुए चालक के पद का सृजन श्री संतराम के लिए किया गया है।)	3050-4590	01	-	01

नोट-* उत्तरांचल के लिए आवंटित 2 पदों में से एक न्यायिक सदस्य तथा एक विभागीय सदस्य।

** न्यायिक सदस्य-16400-20000
विभागीय सदस्य-18400-22400
अधिवक्ता सदस्य-14300-18300

([illegible])
सचिव

सं0क0नि0-4-.2652 - (1)/11 -2001तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1- महालेखाकार लेखा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2- महालेखाकार उत्तरांचल प्रकोष्ठ-5, एर्राहिलरोड सत्यनिष्ठा भवन इलाहाबाद।
3- उत्तरांचल राज्य पुर्नगठन आयुक्त, उत्तरांचल शासन लखनऊ
4- सचिव उत्तरांचल समन्वय विभाग (विकास भवन) लखनऊ।
5- मुख्य सचिव, उत्तरांचल राज्य शासन देहरादून
6- सचिव वित्त उत्तरांचल राज्य शासन देहरादून
7- कमिश्नर व्यापार कर उ0प्र0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/कार्मिक अनुभाग-1/कर एवं निबन्धन अनुभाग-1/3
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री (
10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0यादव)
सचिव।

संख्या-989/वि0अनु-5/व्या0कर/2002

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
व्यापार कर अधिकरण,
उत्तरांचल, देहरादून ।

वित्त अनुभाग-5 देहरादून:: दिनांक 7 मार्च 2002

विषय:- अध्यक्ष, व्यापार कर अधिकरण कार्यालय को स्टाफ कार हेतु ड्राइवर के पद का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-व्या0क0अधि0/अधिष्ठान/01/494 दिनांक 11-12-2001 एवं पत्र संख्या-व्या0क0अधि0/अधिष्ठान/81/02 दिनांक 19-2-02 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संप्रति व्यापार कर अधिकरण का ढाँचा अभी स्वीकृत नहीं किया जा सका है, तथापि शासन स्तर से स्टाफ कार क्रय करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। स्टाफ कार के समुचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए ड्राइवर के एक अस्थायी पद वेतनमान रु0 3050-4590 के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2- प्रश्नगत पद के अस्थायी सृजन का यह निर्णय व्यापार कर अधिकरण के संगठनात्मक ढाँचे के मा0मंत्रिपरिषद के स्तर से अनुमोदन के प्रतिबन्ध के अधीन होगा, साथ ही यह पद यदि इससे पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, तो 28 फरवरी, 2003 तक के लिए सृजित माना जायेगा ।

3- ड्राइवर के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पादित किये जाने तक आपके स्तर से दैनिक वेतन पर जो ड्राइवर तैनात किया गया है, उसके कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही की जा रही है।

इस पद के सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय सुसंगत अधिष्ठान मद से वहन किया जायेगा ।

भवदीय,

7/3/2002

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।

संख्या-989(1)/विअनु-5/व्या0कर/2002 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव

संख्या– 613 / XXVII(5) / व्या0कर / 2004

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
व्यापार कर अधिकरण,
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग–5 देहरादून::दिनांक:: 20 नवम्बर, 2004

विषय:– व्यापार कर अधिकरण, उत्तरांचल के लिये अतिरिक्त पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यापार कर अधिकरण,उत्तरांचल के विभागीय ढ़ॉचे में देहरादून तथा हल्द्वानी पीठों हेतु निम्नांकित सारणी के अनुरूप कुल 07(सात) अस्थायी अतिरिक्त पदों के सृजन की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति दिनांक 28–02--2005 तक श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान (रूपय)	अतिरिक्त पदों का सृजन / स्थान
1–	कार्यालय अधीक्षक (अध्यक्ष, व्यापार कर अधिकरण कार्यालय हेतु)	5000–8000	01 देहरादून पीठ
2–	वैयक्तिक सहायक	6500–10500	02(1 हल्द्वानी पीठ +1 देहरादून पीठ)
3--	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	01 (देहरादून पीठ)
4–	कनिष्ठ लिपिक / कम्प्यूटर सहायक	3050–4590	01(देहरादून पीठ)
5–	ड्राइवर	3050–4590	01(हल्द्वानी पीठ)
6–	चपरासी	2550–3200	01(हल्द्वानी पीठ)
	योग		**07**

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय--व्ययक के अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक 2040–बिक्री व्यापार आदि पर कर,001–निदेशन एवं प्रशासन,04–व्यापार कर प्राधिकरण का अधिष्ठान,01--वेतन, 03–महगाई भत्ता,06–अन्य भत्ते के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एल0एम0पन्त) 20/11/2004
अपर सचिव।

अध्यक्ष, व्यापार-कर अधिकरण उत्तरांचल, देहरादून

संख्या– 70 /2009/102(100)/XXVII(8)/08

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून::दिनांक: 25 फरवरी,2009

विषयः–वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सृजित अस्थाई पदों को स्थायी घोषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक–वा0क0अधि0/अधिष्ठान/416/2008,दिनांक 17–12–2008 में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7,उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या –118/XXVII(7)/2006,दि0 31–8–2006 के दृष्टिगत वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार विभिन्न शासनादेशों द्वारा समय–समय पर सृजित अस्थायी पदों को एतदद्वारा स्थायी घोषित किया जाता है।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक 2040–बिकी व्यापार आदि पर कर 001–निदेशन एवं प्रशासन,04–वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान के सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,
24/2/2009
(एल0एम0पन्त)
सचिव।

संख्या– (1)/2009/102(100)/XXVII(8)/08,तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
2–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून/हल्द्वानी।
3–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–70/2009/102(100)/XXVII(8)/08,दिनांक 25 फरवरी,2009 द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तराखण्ड में दिनांक 25-02-2009 से स्थायी किये गये पदों का विवरणः–

क्र0 सं0	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या व दिनांक जिससे पद मूल रूप में सृजित हुआ है।	शासनादेश व दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थाईकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्व स्वीकृत किया था।	अभ्युक्ति
1	कार चालक	2	5200–20200 (पूर्व वेतनमान 3050–4590)	989/वि0अनु–5/व्या0क0/02,दि0 7–3–02 तथा 613/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 20–11–2004	46/XXVII(8)/वाणि0क0/व्या0क0/08 दि0 26–02–2008 द्वारा दिनांक 28–02–09 तक	एक–एक पद देहरादून व हल्द्वानी पीठ हेतु।
2	अनुसेवक	1	4440–7440 (पूर्व वेतनमान 2550–3200)	613/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 20–11–2004	——उक्त——	हल्द्वानी पीठ हेतु।
3	कनिष्ठ लिपिक	1	5200–20200 (पूर्व वेतनमान 3050–4590)	613/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 20–11–2004	——उक्त——	देहरादून पीठ हेतु।
4	प्रवर सहायक	1	5200–20200 (पूर्व वेतनमान 4000–6000)	613/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 20–11–2004	——उक्त——	देहरादून पीठ हेतु।
5	प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2	1	9300–34800 (पूर्व वेतनमान 5000–8000)	613/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 20–11–2004	——उक्त——	देहरादून पीठ हेतु।
6	वैयक्तिक सहायक	2	9300–34800 (पूर्व वेतनमान 6500–10500)	613/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 20–11–2004 तथा 1493/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 6–12–2004	——उक्त——	एक–एक पद देहरादून व हल्द्वानी पीठ हेतु। 2–पूर्व में उ0प्र0 से प्राप्त वैयक्तिक सहायकों के वेतनमान 5500–9000 को उच्चीकृत किया

24/2/2009

(एल0एम0पन्त)
सचिव,वित्त।

संख्या-243/2017/33(100)/XXVII(8)/01

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादूनः दिनांकः 24 अप्रैल, 2017

विषयः– वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के सवंर्गीय ढांचे का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–वा0क0अधि0/अधिष्ठान/स्टाफिंगपै0/68(12)/383/2016, दिनांक 03.10.2016 में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–90/XXX(2)/20–30(51)/2015, दिनांक 26.07.2016 की व्यवस्थानुसार वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संवर्गीय ढांचे के पदों का पुनर्गठन एतद्द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:–

क्र0 सं0	पदनाम	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों की संख्या	वेतनबैण्ड व ग्रेड वेतन
1	कनिष्ठ सहायक	(32%)	5	रू0 5200–20200, ग्रेड वेतन रू0 2000/–
2	वरिष्ठ सहायक	(28%)	3	रू0 5200–20200, ग्रेड वेतन रू0 2800/–
3	प्रधान सहायक	(18%)	2	रू0 9300–34800, ग्रेड वेतन रू0 4200/–
4	प्रशासनिक अधिकारी	(8%)	1	रू0 9300–34800, ग्रेड वेतन रू0 4600/–
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	(8%)	1	रू0 9300–34800, ग्रेड वेतन रू0 4800/–
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	(6%)	-	रू0 15600–39100, ग्रेड वेतन रू0 5400/–

2– अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– (1)/2017/33(100)/XXVII(8)/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

Seen. The A.R. to comply with make suggestion for compliance
26.4.17

Dev sir draft 2016